



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225274
CG-DL-E-19022021-225274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942

No. 714]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

का.आ. 779(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 की 15) की धारा 43 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 372(अ), तारीख 5 फरवरी, 2016, द्वारा प्रकाशित की गई है, की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्: -

1	2	3	4
"22.	राजस्थान	विशेष न्यायाधीश का न्यायालय, सीबीआई नंबर 3 जयपुर।	राजस्थान का पूरा राज्य।"

[फा. सं. सी-18015/3/2013-एड.ईडी (भाग 2)]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 372 (अ), तारीख 5 फरवरी, 2016 में प्रकाशित की गई थी और संख्या का.आ. 966 (अ), तारीख 27 मार्च, 2017 तथा संख्या का.आ. 1420(अ), तारीख 05 मई, 2017 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2021

S.O. 779(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated 5th February, 2016, namely:-

In the said notification, in the table, for serial number 22 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“22.	Rajasthan	Court of Special Judge, CBI No. 3, Jaipur.	The entire state of Rajasthan.”.

[F. No. C-18015/3/2013-Ad.ED (Part 2)]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 372(E), dated the 5th February, 2016 and subsequently amended *vide* number S.O. 966(E), dated the 27th March, 2017 and S.O. 1420(E), dated the 5th May, 2017.